न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 108/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 21.05.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

एएसआई इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व नाम एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज कोटा लिमिटेड) कुदायला ओद्योगिक क्षेत्र तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये सलाहकार राजस्व एवं पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर दयाल सिंह राजावत आत्मज स्व0 श्री नाथूसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी डडवाड़ा भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक – अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र.1

::निर्णयः:

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय परगना अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के आदेश क्रमांक 543–54 दिनांक 15.07.1976 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय परगना अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के आदेश क्रमांक 543–54 दिनांक 15.07.1976 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ पेश करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश कर कथन किया गया है कि आदेश जेरअपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय परगना अधिकारी रामगंजमण्डी ने ग्राम दुर्जनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खसरा नम्बर 15 की 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 की 1 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 46 की 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 की 12 बिस्वा जुमला 4 किता की 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि के बजंड के स्थान पर गैरमुमकिन रास्ता किस्म परिवर्तन करने में त्रुटि की है।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फ़रमाया कि उपरोक्त भूमि अपीलान्ट कम्पनी के खनन लीज क्षेत्र में आती है, उक्त लीज वर्तमान में प्रभावशील है। अपीलान्ट उसके खनन लीज क्षेत्र पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिती में हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपील विषयक उपरोक्त भूमि में काई रास्ता कायम नहीं है उपरोक्त भूमि रास्ते के रूप में उपयोग मे नहीं आ रही है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि परगना अधिकारी (उपजिला कलेक्टर) को भूमि की किस्म बजंड से गैरमुमकिन रास्ता किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत, अवैध, गैरकानूनी, त्रुटि पूर्ण, मनमाना एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकार विहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि में हित निहित है। आदेश जेर अपील से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अपीलान्ट आदेश जेर अपील से व्यथित पक्षकार (एग्रीव्ड परसन) होने से यह अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी है। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर उपरोक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकोर्ड में जमाबंदी में पूर्ववत बंजड़ दर्ज फरमायी जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी की किस्म पूर्व में बंजड़ थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गै0मु0 रास्ते में दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रश्नगत आराजी अपीलांट कम्पनी के लीज क्षेत्र में आती है, यह लीज वर्तमान में भी प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.1976 को आदेश पारित किये जाने के उपरांत नामांतरकरण संख्या 79 से खसरा सं0 15, 16, 46 एवं 72 को गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया। जबकि सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी सम्वत 2014–2033 के उक्त खसरा नम्बरान कि किस्म बंजड़ दर्ज है। इस प्रकार अपीलांट का उपरोक्त भूमि में हित निहित है, हुकम जैर अपील से अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर

आयुक्त

निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.07.1976 निरस्त फरमाया जावे तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी की किस्म पूर्ववत बंजड़ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRD 1977 532, RRT 2020(1) 91, RRD 1980 315, RRD 1980 665 पेश किये गये।

4. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट के द्वारा न्यायालय परगना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी) के आदेश दिनांक 15.07.1976 के विरूद्ध 46 वर्षों के उपरांत अपील पेश की है, जो अवधि बाधित हैं। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के किसी प्रकार से हित प्रभावित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जावे।

5. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलार्थी को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया था। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 14.07.2023 को प्राप्त होने पर नकल आदेश प्राप्त किये जाने का पेश करने पर तदनुसार उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के द्वारा किस्म परिवर्तन आदेश दिनांक 15.07.1976 का पुराना रिकोर्ड होने से स्याही उड़ जाने से कुछ दिखाई नहीं देने के कारण नकल नहीं दी गई। जिसके कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु को क्षम्य किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा दिनांक 31.07.2023 को नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आदेश क्रमांक 543–54 दिनांक 15.07.1976 (परगना अधिकारी, रामगंजमण्डी), जिसका अंकन नांमातरकरण संख्या 79 दिनांक 20.12.1976 में किया गया है, की प्रतिलिपि चाही जाने पर परिवर्तन आदेश दिनांक 15.07.1976 का पुराना रिकोर्ड होने से स्याही उड़ जाने से कुछ दिखाई नहीं देने के कारण नकल नहीं दी गई। साथ ही अपीलार्थी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.1976 के संबंध में तर्क रहा है कि परगना अधिकारी रामगजमण्डी को कृषि आराजीयात की भूमि की किस्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है अर्थात् भूमि की किस्म बंजड से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण जो निम्नानुसार प्रतिपादित हैं :–

26/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

RRD 1977 532 : Phool Singh vs State of Raj. 242

Appeal No. 105/Bharatpur of 74, decided on 18th May, 1977

(a) Revenue Courts Manual (Pt. I)R.17 – Copy of order of Tehsildar rised alongwith memo of appeal against app. order of R.A.A. – Certified copy of order of Tehsildar, applied for could not be issued by R.A.A. since order of Tehsildar was in a state of delapidation- Order of R.A.A. showing inability for grant of copy, filed with memo of appeal- Appellant had sufficient cause for not filing copy and defect, condoned.

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं संबंधित अभिलेख के प्राप्त नहीं होने से अपील पेश करने में हुये विलम्ब का युक्तियुक्त एवं संतोषनजक कारण होना प्रकट होता है।

6. अपीलार्थी के द्वारा यह भी प्रश्न उठाया गया है कि परगना अधिकारी रामगजमण्डी को कृषि आराजीयात की भूमि की किस्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है अर्थात् भूमि की किस्म बंजड से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में मियाद के बिन्दु को तय किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित है :–

RRC 1996 Page No. 37 :- Sec. 5, 3 of Limitation Act 1963 - If the order passed without jurisdiction then there is no question of limitation to challenge that order and can be set aside at any time by the competent court.

इस प्रकार यदि आदेश क्षेत्राधिकार विहीन हो, गैर कानूनी हो तो वहां मियाद का बिन्दु बाधक नहीं होता है; ऐसे आदेश को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी का निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रश्नगत आराजी अपीलांट कम्पनी के लीज क्षेत्र में आती है, यह लीज वर्तमान में भी प्रभावी है। अपीलांट का उपरोक्त भूमि में हित निहित है, हुकम जैर अपील से अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। इस प्रकार अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबंध में रेस्पो० पेरोकार

सरकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रत्युत्तर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से प्रकरण में अपीलांट को सुना जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है।

8. हमने अपील पत्रावली एवं अपीलार्थी की ओर से अपने पक्ष में समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय परगना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी) के आदेश दिनांक 15.07.1976 से ग्राम दुर्जनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खसरा नम्बर 15 की 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 की 1 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 46 की 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 की 12 बिस्वा जुमला 4 किता की 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि बजंड के स्थान पर गैरमुमकिन रास्ता किस्म परिवर्तन करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। प्रश्नगत प्रकरण में भूमि किस्म परिवर्तन संबंधी आदेश दिनांक 15.07.1976 रिकोर्ड प्राप्त नहीं होने पर न्यायालय हाजा के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी, कोटा से न्यायालय हाजा के पत्रांक 1442 दिनांक 06.06.2025 से प्रश्नगत आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, रामगंजमण्डी, कोटा से प्रकरण में पत्रांक राजस्व/2025/743 दिनांक 10.06.2025 से मौका रिपोर्ट प्रेषित कर उल्लेखित किया गया है कि खसरा सं0 15 की 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा सं0 16 की 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा सं0 46 की 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा सं0 72 की 12 बिस्वा जुमला 4 किता की 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि के संबंध में पटवारी हल्का लक्ष्मीपुरा से मौका रिपोर्ट ली गई। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट गत खसरा सं0 15, 16, 46, 72 से बने हाल खसरा सं0 16, 17, 49, 79 जो वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड अनुसार गै0 मु0 रास्ता दर्ज रिकोर्ड हैं। उक्त खसरा नम्बरान वर्तमान में कोई रास्ता प्रचलन में नहीं है, ना ही यह किसी ग्राम के रास्ते से जुड़े हुए हैं। यह चारों खसरा नम्बर खनन उत्पादन क्षेत्र में स्थित हैं। इस प्रकार तहसीलदार,रामगंजमण्डी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त आराजी पर रास्ता नहीं होना तथा अन्य किसी रास्ते से लगवा नहीं होना बताया गया है। साथ ही उपरोक्त आराजी को गैरमुमकिन रास्ते में परिवर्तन करने के लिये कोई प्रस्ताव किसी के द्वारा पेश किया गया हो, ऐसा भी कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी को बंजड़ से गैर मुमकिन रास्ते में किस्म परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आदेश दिनांक 15.07.1976 क्षेत्राधिकार विहिन प्रकट होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंमण्डी के किस्म परिवर्तन संबंधी आदेश दिनांक 15.07.

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

1976 को क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.07.1976 बिना क्षेत्राधिकार के पारित किये जाने से प्रभाव शून्य (An order passed without jurisdiction is void) होने पर अपास्त किया जाता है। वादग्रस्त आराजी "गत खसरा सं0 15, 16, 46, 72 से बने हाल खसरा सं0 16, 17, 49, 79" पुनः राजस्व रिकोर्ड में बंजड दर्ज किया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागायुक्त
कोटा